पत्रांक –3/एम० –52/2013सा०प्र०...8322/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 10.6. 2015

विषय:– **उच्च पदस्थ पदाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सभ्य आचरण एवं मर्यादित व्यवहार करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के आचार विनियमित किये जाने के उद्देश्य से "बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976" (समय–समय पर यथा संशोधित) गठित है।

2. नियमावली के नियम–3(1) द्वारा प्रत्येक सरकारी सेवकों के प्रसंग में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि–

हर सरकारी सेवक सदा –

(i) पूरी शीलनिष्ठा रखेगा;

(ii) कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा; और

(iii) ऐसा कोई काम न करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो।

3. परंतु, सरकार के संज्ञान में ऐसी बातें आ रही हैं कि विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित उच्च पदाधिकारियों द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मियों के साथ अमर्यादित व्यवहार करने, उनके प्रति प्रतिदिन असंसदीय भाषा का प्रयोग करने, उन्हें अकारण मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, बात–बात पर अनावश्यक एवं अकारण निलम्बन एवं विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने जैसी कार्रवाईयाँ की जा रही हैं। इससे अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के मनोबल एवं उनकी कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक तो है ही साथ ही इसे राज्य के स्वस्थ लोक प्रशासन के अनुकूल भी नहीं माना जा सकता है।

4. अतः अनुरोध है कि अपने समस्त अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति सभ्य आचरण एवं मर्यादित व्यवहार किया जाना सुनिश्चित करते हुए अपने अधीनस्थों को भी ऐसा ही व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाय ताकि प्रशासन में सद्भाव कायम रहे और बेहतर कार्य माहौल का निर्माण संभव हो सके।

विश्वासभाजन

(आमिर सुबहानी) 10.6.15
सरकार के प्रधान सचिव।

zakaul hameed/ miss